

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना -कम्पिल

दि0-05.06.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, 30प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त जबरलाल पुत्र अरविन्द निवासी मोहल्ला बालकिशन पुराने बस स्टैंड के पास थाना अलीगंज जनपद एटा मु0अ0स0-144/2021 वाद संख्या 302/2026 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट द्वारा दिनांक 05.06.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 02 वर्ष 05 माह का साधारण कारावास की सजा व 5000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री शैलेश कुमार



को0 मो0 - हे0का0 राजेन्द्र कुमार



पैरोकार -हे0 का0 अमन कुमार

प्रेस नोट – थाना राजेपुर
दिनांक - 05.06.2026

मु0अ0सं0 60/2026 धारा 70(1)/115(2)/351(2) बीएनएस थाना राजेपुर जनपद
फरुखाबाद से सम्बंधित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजेपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 60/2026 धारा 70(1)/115(2)/351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त अजीत कुमार पुत्र दल सिंह निवासी ग्राम दारापुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. अजीत कुमार पुत्र दल सिंह निवासी ग्राम दारापुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़

घटना का विवरण- दिनांक 14.04.2026 को आवेदिका द्वारा थाना राजेपुर पर तहरीर दी कि वह जमापुर बाजार से घरेलू सामान लेने के लिए जा रही थी रास्ते में एक कार में अजीत पुत्र दल सिंह व अन्य 03 तीन लोग गाड़ी में बैठे मिले। आवेदिक अजीत को जानती थी जिस कारण अजीत के कहने पर गाड़ी में बैठ गई और जमापुर बाजार जाते समय अजीत ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर मुझे पिला दिया जिससे मुझे नशा हो गया फिर ये लोग मुझे होटल ले गये तथा बलपूर्वक शराब पिलाकर अजीत तथा अजीत द्वारा बुलाये गये अन्य व्यक्ति संजय पुत्र नर सिंह द्वारा मेरे साथ बलात्कार किया तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। तहरीर के आधार पर थाना राजेपुर पर मु0अ0सं0 60/2026 धारा 70(1)/115(2)/351(2) बीएनएस बनाम अजीत कुमार पुत्र दल सिंह निवासी ग्राम दारापुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ आदि 05 नफर पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना पर अभियोग में वांछित अभियुक्त अजीत कुमार पुत्र दल सिंह निवासी ग्राम दारापुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त अजीत कुमार उपरोक्त द्वारा पूछताछ के दौरान अपने साथी संजय पुत्र नरसिंह के साथ मिलकर युवती के साथ गलत कार्य करना स्वीकार किया गया तथा अपने बयान अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त अजीत कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 60/2026 धारा 70(1)/115(2)/351(2) बीएनएस थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना राजेपुर पुलिस टीम-

01. थानाध्यक्ष श्री नागेन्द्र सिंह
02. उ0नि0 श्री आशुतोष सिंह
03. मुकेश कुमार
04. वंश कुशवाहा
05. शशांक पाण्डेय

मीडिया सेल फतेहगढ़।